

19/09/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय
रक्षकाल उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर काया न व्यस्त हैं। मिसल
इलतवा होकर दिनांक 07/11/22 को
पेश हों।

07/11/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / प्रार्थी वकील कारा
विप्रार्थीगणों के दिलेक्ट रमिते प्रेश की गई जिसे
शामिल पत्रावली विना गान। सीमान पीठासीन अधि
कारी दिगर कारों के व्याप्य होने के मिसल इलतवा
होकर दिनांक 04/01/2023 को प्रेश की।

04/01/2023

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व
रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको 6 माह से अधिक का
समय व्यतीत हो चुका है। बावजूद सूचना को कोई उपस्थित
नहीं हुआ। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज
लगाई गई / अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई।
विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण
बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु
को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हों दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर